

आपदा प्रबंधन विभाग

क्रम संख्या	योजना/कार्यक्रम एवं सेवाएं जिनके संबंध में परिवाद दायर किया जा सकेगा।	(i) लाभुक को आवेदन कहाँ करना है?	(ii) आवेदन के साथ अनुलग्नक क्या लगाना है?	(iii) आवेदन के निष्पादन की प्रक्रिया (चरणवार समयबाधताके साथ)	(iv) स्वीकृतकर्ता पदाधिकारी कौन हैं?	(v) अपील की व्यवस्था (यदि उपलब्ध हो तो)
1	प्राकृतिक आपदाओं से संबंधित सभी मामले (चक्रावात, सूखा, भूकम्प, अग्नि, बाढ़, सुनामी, ओलावृष्टि, भू-स्खलन, हिमपात (हिमवर्षा), बादल फटने, कीट आक्रमण, पाला (Frost) एवं शीतलहर)	संबंधित अंचलाधिकारी के समक्ष	आवेदक का आधार कार्ड के साथ हुई क्षति से संबंधित साक्ष्य।	1. संबंधित अंचल अधिकारी द्वारा जांचोपरान्त अभिलेख तैयार कर अनुशंसा सहित अनुमण्डल पदाधिकारी को भेजा जाता है। 2. संबंधित अनुमण्डल पदाधिकारी द्वारा जांचोपरान्त अभिलेख पर निर्णय हेतु अनुशंसा सहित संबंधित जिला पदाधिकारी को भेजा जाता है। 3. संबंधित जिला पदाधिकारी द्वारा अभिलेख की स्वीकृति/अस्वीकृति के उपरान्त वापस लौटाया जाता है तथा स्वीकृति के मामले में राशि की अधियाचना विभाग से की जाती है।	संबंधित जिला पदाधिकारी	नहीं
2	गैर प्राकृतिक आपदा (गैर प्राकृतिक आपदा की स्थिति में जिससे व्यक्ति समूह कुप्रभावित हुए हैं के मामले आर्येंगे)	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव
3	स्थानीय प्रकृति की आपदाओं से संबंधित सभी मामले (वज्रपात, लू, अतिवृष्टि एवं असमय भारी वर्षा, नाव दुर्घटना, नदियों/तालाबों/गड्ढों में डूबने से होनेवाली मृत्यु, मानवजनित सामूहिक दुर्घटना यथा-सड़क दुर्घटना, वायुयान दुर्घटना और गैस रिसाव)	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव

4	कटाव पीड़ितों को पुनर्वासित करने के संबंध में	दिनांक-01-01-2003 के पूर्व कटाव से विस्थापित परिवारों को पुनर्वासित करने की कार्रवाई की गई है। वर्तमान में पुनर्वास की कार्रवाई हेतु कोई विभागीय परिपत्र प्रभावी नहीं है।	-	-	-	-
5	बिहार कृषि संकटग्रस्त किसान सहायता योजना	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव
6	शताब्दी अन्न कलश योजना	वर्तमान में अप्रभावी	-	-	-	-